-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 24.11.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना पैलानी पुलिस द्वारा युवक की हत्या करने वाले पडोसी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल कुल्हाडी बरामद।**
- **थाना पैलानी क्षेत्र के ग्राम धरीखेड़ा मजरा इछावर में दिनांक 11.11.2025 को पुरानी रंजिश व अवैध सम्बन्ध के शक में पडोसी ने कुल्हाडी से युवक के सिर पर मारकर गम्भीर रुप से कर दिया था घायल, जिसकी इलाज के दौरान हो गई थी मृत्यु।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने, वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 24.11.2025 को थाना पैलानी पुलिस द्वारा पडोसी की हत्या करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि थाना पैलानी क्षेत्र के ग्राम धरीखेड़ा मजरा इछावर में दिनांक 11.11.2025 की रात्रि दो पडोसी पक्षों के बीच पुरानी रंजिश व अवैध सम्बन्ध के शक में एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के युवक को कुल्हाडी से मारकर गम्भीर रुप से चोट पहुंचा दिया गया था जिसे परिजनों द्वारा उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया तथा घायल की पत्नि की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। तत्पश्चात घटना के अगले दिन व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट , घटनास्थल से प्राप्त साक्ष्यों तथा बयानों के आधार पर गम्भीर धाराओं की बढौत्तरी कर अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में आज दिनांक 24.11.2025 को थाना पैलानी पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना पैलानी क्षेत्र के नरौली से आगे सोनामऊ चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया तथा अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त कुल्हाडी बरामद कर लिया गया है।

बरामदगी-

- 01 कुल्हाडी (घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. शिवनारायन उर्फ कलुवा पुत्र स्व० लाली निवासी ग्राम धरीखेड़ा मजरा इछावर थाना पैलानी जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 288/25 धारा 103 (1) बीएनएस थाना पैलानी जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्र0निरी0 थाना पैलानी श्री राजेश कुमार वर्मा
2. उ0नि0 प्रदीप कुमार
3. उ0नि0 रविकुमार
4. हे का विपुल मिश्र
5. का0 निहाल रजा
6. का० सचिन
7. का0 रंजीत